

## Bid Corrigendum

GEM/2023/B/3399917-C4

Following terms and conditions supersede all existing "Buyer added Bid Specific Terms and conditions" given in the bid document or any previous corrigendum. Prospective bidders are advised to bid as per following Terms and Conditions:

### Buyer Added Bid Specific Additional Terms and Conditions

1. OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity by up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. Bidders are bound to accept the orders accordingly.
2. Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)
3. The bidder is required to upload, along with the bid, all relevant certificates such as BIS licence, type test certificate, approval certificates and other certificates as prescribed in the Product Specification given in the bid document.

### Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. Any clause(s) incorporated by the Buyer regarding following shall be treated as null and void and would not be considered as part of bid:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process.
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

\*This document shall overwrite all previous versions of Bid Specific Additional Terms and Conditions.

[This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)



# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: [rj-slsa@nic.in](mailto:rj-slsa@nic.in), [rslsajp@gmail.com](mailto:rslsajp@gmail.com) Website: [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in)

क्रमांक:-

दिनांक :- 09.05.2023

## CORRIGENDUM

### एकल स्रोत निविदा (Single Source Tender)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा Jupitice Digital Lok Adalat Platform के माध्यम से दिनांक 09.09.2023/या बदली हुई तिथि को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के Online आयोजन हेतु एवं उसके डेटा (Data) को ऑनलाईन एवं डिजिटली संधारित करने हेतु आपकी फर्म/कम्पनी/संस्था से संलग्न Annexure-1 में अंकित विवरण (Specifications) अनुसार वेब एप्लीकेशन/पोर्टल/प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए एकल निविदा GFR 2017 के नियम 166 सपडित Manual for Procurement of Goods 2017 के पैरा 4.7 के अंतर्गत आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य पर संभावित लागत राशि रूपए 16,00,000/- (सोलह लाख रूपए मात्र) + अतिरिक्त (Excluding) GST एवं अन्य कर होगी।

GeM पोर्टल पर उपलब्ध विस्तारित तिथि (extended date) के अनुसार निविदा स्वीकार की जाएगी। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदा उसी दिन कार्यालय समय में इस प्राधिकरण के मुख्यालय के कार्यालय में GeM पोर्टल पर उपलब्ध प्रस्ताव के साथ उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोली जावेगी। 5 प्रतिशत ePBG नियमानुसार जमा करानी होगी।

#### निविदा की शर्तें:

1. Software उपापन संलग्न Annexure-1 में अंकित विवरण अनुसार एवं उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, जो हर प्रकार के Bug/Virus attack से मुक्त होगा। Bug आने पर उसे उच्च दक्षता के साथ तुरंत दूर करना होगा।
2. Online Digital Lok Adalat Platform को NIC/DoITC के Server पर Host करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि Developed Application (Web Application/Portal /Platform) सिक्योरिटी ऑडिट/सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेशन को क्लियर करने के लिए अनिवार्य रूप से भेद्यता/बग/दोष (Free from Vulnerability/bugs/defects etc.) आदि से मुक्त है।
3. Online Digital Lok Adalat Platform/सम्पूर्ण वेब एप्लीकेशन/पोर्टल की Security Audit उत्पाद की Supply से पूर्व अनुमोदित एजेंसी से करायी जानी सुनिश्चित की जाएगी।
4. वेण्डर Online Digital Lok Adalat Platform/सम्पूर्ण वेब एप्लीकेशन/पोर्टल का Design एवं Development and Source Code Host करने से पूर्व उपलब्ध कराएगा।
5. वेण्डर Online Digital Lok Adalat Platform के वेब एप्लीकेशन/पोर्टल को तैयार करने में किस टेक्नोलॉजी पर साफ्टवेयर को प्रयुक्त किया गया है का पूरा विवरण उपलब्ध कराएगा।
6. National Lok Adalat में प्री-लिटिगेशन और पेंडिंग केसेज दोनों के लिए Online Digital Lok Adalat Platform पर सेवाएं उपलब्ध करानी होगी।
7. सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति और न्यायालय के स्टाफ जिन्हें रालसा द्वारा नामित किया जाएगा उन्हें इस प्लेटफॉर्म के प्रयोग व संचालन के संबंध में उचित Training देनी होगी, Training RLSA के निर्देशानुसार व्यक्तिगत (Physical) होगी।

*"Help the Needy-Timely Help May Create History"*



# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: [rj-slsa@nic.in](mailto:rj-slsa@nic.in), [rslsajp@gmail.com](mailto:rslsajp@gmail.com) Website: [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in)

8. वेण्डर Online Digital Lok Adalat Platform/सम्पूर्ण वेब एप्लीकेशन/पोर्टल पर संघारित Database किसी से साझा नहीं करेगा। Data उच्च दक्षता के साथ Multi-layered Data Security technology से protect किया जाएगा।
9. लोक अदालत के Physical और Online Digital Lok Adalat Platform/सम्पूर्ण वेब एप्लीकेशन/पोर्टल के आंकड़ों में 10 प्रतिशत से अधिक विचलन (deviation) आने पर वेण्डर आनुपातिक रूप से शास्ति के लिए दायी होगा।
10. सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में Vendor के द्वारा नोडल ऑफिसर के रूप में एक-एक व्यक्ति को अपने स्वयं के खर्च पर नियुक्त करना पड़ेगा जो वहां इस पोर्टल में आ रही समस्याओं का समाधान करेगा।
11. वेण्डर हेल्पलाइन नम्बर/कॉल सेंटर उपलब्ध कराएगा, जिसमें उपयोगकर्ताओं व पक्षकारों की पोर्टल/प्लेटफॉर्म के उपयोग के दौरान की सभी तरह की समस्याओं का समाधान कराना होगा।
12. पोर्टल के किसी भी पेज पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन स्वीकार्य नहीं होगा ना ही सेवाप्रदाता Vendor Company का कोई भी विज्ञापन या लोगो सम्पूर्ण वेब एप्लीकेशन/पोर्टल पर दर्शित होगा। गलतसा के निर्देशानुसार ही इस प्लेटफॉर्म/ पोर्टल/वेब एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस (UI) प्रदर्शित होगा।
13. यूजर इंटरफेस (User Interface): एप्लिकेशन का UI राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार Customisable होगा। UI तकनीकी रूप से HTML 5 Standard या बेहतर तकनीकी (Technology) पर आधारित होगा और आवश्यक रूप से सभी Aspect Ratio के डेस्कटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट आदि उपकरणों के साथ संगत (Compatible) होगा। इस वेब एप्लीकेशन के इंटरफेस को Quick Responsive होना आवश्यक है, Response में विलंब होने पर इसे Vendor की सेवा में कमी समझा जाएगा और Vendor इस संबंध में लगाई गई शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा एवं गंभीर स्थिति में इसे Breach of Contract भी समझा जाएगा।
14. ब्राउजर संगतता (Browser Compatibility) : Online Digital Lok Adalat Platform के वेब एप्लीकेशन को सामान्य वेब और मोबाइल ब्राउजर जैसे Google क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फ़ायरफ़ॉक्स, सफारी और ओपेरा मिनी इत्यादि पर समर्थन (Supportive) होना होगा।
15. द्विभाषी समर्थन (Bi-Lingual Support) : एप्लिकेशन यूजर इंटरफेस के लिए कम से कम यूनिकोड 5.1/6.0 मानक आधारित द्विभाषी संस्करणों का समर्थन (Support) करेगा और इसका इंटरफेस हिंदी और अंग्रेजी (भारत) दोनों भाषाओं में होना आवश्यक है।
16. कहीं भी पहुंच (Anywhere Access): एप्लिकेशन को कम बैंडविड्थ (64 Kbps/GPRS) पर भी काम करना चाहिए।
17. लचीलापन (Flexibility): सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और उभरती आवश्यकताओं के साथ इस वेब एप्लीकेशन/पोर्टल/प्लेटफॉर्म को मापनीय (Scalable) होना चाहिए और मॉड्यूलर विस्तार के लिए आर्किटेक्चर लचीला (Flexible) होना चाहिए।
18. उपलब्ध कराए गए सम्पूर्ण वेब एप्लीकेशन/पोर्टल/प्लेटफॉर्म का सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार गलतसा का होगा।
19. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
20. कार्य संतोषप्रद पूर्ण होने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।
21. निविदादाताओं को उक्त कार्य इस विभाग के निर्देशानुसार अवधि में पूर्ण करना होगा।

**“Help the Needy-Timely Help May Create History”**

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर  
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर  
(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)  
Email: [ri-sisa@nic.in](mailto:ri-sisa@nic.in), [ri-sisaip@gmail.com](mailto:ri-sisaip@gmail.com) Website: [www.ri-sa.gov.in](http://www.ri-sa.gov.in)



22. निविदा में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो अलग से अंकित करें।
23. आयकर व जी.एस.टी. की नियमानुसार बिल में से कटौती की जाएगी।
24. तकनीकी आधार पर कार्य की असंभवता या कोई कठिनाई (Hardship) आने की सूचना में उपर्युक्त तकनीकी शर्तों के संबंध में Negotiations किया जा सकता है, परन्तु यह भी कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा Vendor द्वारा प्रस्तुत कोई नई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। परन्तु यह भी कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा किसी भी वक्त अनुबन्ध की संगतता में कोई भी शर्त आरोपित की जा सकती है।

सदस्य सचिव  
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

जयपुर  
दिनांक:

क्रमांक- RSLSA/

1. नोटिस बोर्ड / राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर, कार्यालय राजा।
2. AAO-1, कार्यालय राजा।
3. संबंधित पत्रावली।

सदस्य सचिव  
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण